

मांग संख्या 18
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

राज्य शासन के निर्णयानुसार राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सा लाभ में चिकित्सा अग्रिम रूपये 10.00 हजार का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 2

राज्य शासन के निर्णयानुसार श्रम आयुक्त कार्यालय में प्रशिक्षण पर प्रदान करने हेतु राशि रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के 8 जिलों में बाल श्रमिकों सर्वोक्षण हेतु राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।